

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक:-

विकल्प पत्र

1. नाम : छांगुर राम
2. वर्तमान पदनाम : अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/ बलात्कार एवं पाक्सो अधिनियम, जनपद पीलीभीत।
3. वेतनमान : 1,44,840 - 1,94,660/-
4. वर्तमान विभाग का नाम : न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम : उ.प्र. शासन, नियुक्ति अनुभाग-4 (माध्यम-लोक सेवा आयोग, उ.प्र.)
6. विज्ञप्ति की तिथि : 15.11.2003 (विज्ञापन संख्या-A-2/ई-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि : 26.05.2006 (संख्या 2430/दो-4-06-32 (1)/2001 टी.सी. 1 उ.प्र. शासन नियुक्ति अनुभाग 4, लखनऊ)
8. योगदान की तिथि : 31.07.2006 (अपर सिविल जज (जू० डि०), बस्ती)
9. जन्म तिथि : 16.03.1972
10. सेवानिवृत्ति की तिथि : 31.03.2032

मैं छांगुर राम पुत्र स्व० रमाशंकर राम शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना (✓)** / नवीन पेंशन योजना (✗) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर - Chhangur Ram
नाम - छांगुर राम
पदनाम - अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
बलात्कार एवं पाक्सो अधिनियम
जनपद पीलीभीत।
जे.ओ. आई.डी.- यू.पी. 06507

घोषणा पत्र

मैं, छांगुर राम, पदनाम- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/ बलात्कार एवं पाक्सो अधिनियम, जनपद पीलीभीत, यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर - Chhangur Ram
नाम - छांगुर राम
पदनाम - अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
बलात्कार एवं पाक्सो अधिनियम
जनपद पीलीभीत।
जे.ओ. आई.डी.- यू.पी. 06507

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री छांगुर राम, पदनाम- अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/ बलात्कार एवं पाक्सो अधिनियम, जनपद पीलीभीत, को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना (✓)** / नई पेंशन योजना (✗) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

Amin
25-07-2024
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
जिला न्यायाधीश
पीलीभीत